संख्या-17/2021/1029/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 अप्रैल, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के लिए राजस्व लेखा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके पत्रांक-नि0हो0/1073-बी/82/2021-22/1385, दिनांक 05-04-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में होम्योपैथी विभाग हेतु अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि कुल रू0 54665.98 लाख (रूपये पांच अरब छियालीस करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) में से राजस्व लेखा हेतु कुल रू0 50664.82 लाख (रूपये पांच अरब छः करोड़ चौसठ लाख बयासी हजार मात्र) को संलग्नक- 1, 2, 3, 4 एवं 5 में वर्णित लेखा शीर्षक व मानक मदों में मदवार विभाजन के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नही किया जायेगा।

2- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका/ नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा। उक्त के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाय।

4- पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि का यथासमय समुचित प्रस्ताव विभाग से प्राप्त होने पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों/शासन को उपलब्ध करायी जाय।

7- उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निधारित प्रपत्र पर माह 10 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

9- बजट में प्राविधानित धनराशि एक साथ आहरित न की जाय। उक्त धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं किया जायेगा तथा वास्तविक व्यय का आंकलन कर तद्नुसार आवश्यक अपेक्षित धनराशि ही आहरित की जाय।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या:-17/2021/1029(1)/96-आयुष-2-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 17/2021/1029/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का संलग्नक-1

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-102-होम्योपैथी-03- निदेशन तथा प्रशासन-0301-होम्योपैथिक निदेशालय	
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियॉ
1	2	3
01-वेतन	407.08	407.08
02-मजदूरी	0.50	0.50
03-मॅहगाई भत्ता	122.12	122.12
04-यात्रा भत्ता	0.75	0.75
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
06-अन्य भत्ता	2.25	2.25
07-मानदेय	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	8.00	8.00
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	6.50	6.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11.00	11.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रौल आदि की खरीद	24.00	24.00
16-व्यवसाईक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
42-अन्य व्यय	4.50	4.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	12.00	12.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	8.00	8.00
49-चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51-बर्दी व्यय	0.25	0.25
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	35.00	35.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
कुल योग-मतदेय	670.96	670.96

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2021/1029/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का संलग्नक-2

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34, लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- 102-होम्योपैथी- 04-अस्पताल और औषधालय-0401- होम्योपैथिक चिकित्सालय	
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियॉ
	2	3
01-वेतन	4154.00	4154.00
03-मॅहगाई भत्ता	1246.20	1246.20
04-यात्रा भत्ता	18.00	18.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	13.00	13.00
06-अन्य भत्ता	25.00	25.00
08-कार्यालय व्यय	38.00	38.00
09-विद्युत देय	35.00	35.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.10
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	17.00	17.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25.00	25.00
13-टेलिफोन पर व्यय	7.50	7.50
16-व्यवसाईक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.25	5.25
29-अनुरक्षण	28.00	28.00
39-औषधि तथा रसायन	150.00	150.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	20.00	20.00
42-अन्य व्यय	28.00	28.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.90	0.90
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.50	1.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	27.00	27.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	22.00	22.00
49-चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51-बर्दी व्यय	6.00	6.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	275.00	275.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	80.00	80.00
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01	0.01
कुल योग-	6286.47	6286.47

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 17/2021/1029/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का संलग्नक-3

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34, लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- अन्य चिकित्सा पद्धति-102-होम्योपैथी- 03-अस्पताल और औषधालय-0301-होम्योपैथिक चिकित्सालय	
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियॉ
1	2	3
01-वेतन	23990.18	23990.18
03-मॅहगाई भत्ता	7197.05	7197.05
04-यात्रा भत्ता	80.00	80.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15.00	15.00
06-अन्य भत्ता	40.00	40.00
08-कार्यालय व्यय	90.00	90.00
09-विद्युत देय	18.00	18.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.30	0.30
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	80.00	80.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	51.00	51.00
16-व्यवसाईक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	19.76	19.76
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	20.50	20.50
29-अनुरक्षण	27.00	27.00
39-औषधि तथा रसायन	375.00	375.00
40-औषधालय सम्बंधी आवश्यक सज्जा	91.00	91.00
42-अन्य व्यय	92.00	92.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46-कम्प्यॅटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	2.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
49-चिकित्सा व्यय	150.00	150.00
51-बर्दी व्यय	2.00	2.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	2000.00	2000.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1100.00	1100.00
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01	0.01
कुल योग-	**35447.31**	**35447.31**

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 17/2021/1029/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का संलग्नक-4

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34, लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102- होम्योपैथी-03-शिक्षा-0301- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल	
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियों हेतु प्रस्ताव
1	2	3
01-वेतन	2775.85	2775.85
02-मजदूरी	40.00	40.00
03-मॅहगाई भत्ता	832.76	832.76
04-यात्रा भत्ता	4.00	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06-अन्य भत्ता	5.50	5.50
07-मानदेय	3.00	3.00
08-कार्यालय व्यय	32.00	32.00
09-विद्युत देय	150.00	150.00
10-जलकर/जल प्रभार	3.00	3.00
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	13.00	13.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.00	30.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2600.00	2600.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	210.00	210.00
21-छात्रवृत्तिया ँ/छात्र वेतन	600.00	600.00
29-अनुरक्षण	40.00	40.00
39-औषधि तथा रसायन	75.00	75.00
40-औषधालय सम्बंधी आवश्यक सज्जा	15.00	15.00
42-अन्य व्यय	75.00	75.00
43-सामग्री एंव सम्पूर्ति	30.00	30.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.55	0.55
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.90	0.90
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50.00	50.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	30.00	30.00
49-चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51-बर्दी व्यय	1.50	1.50
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	210.00	210.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	400.00	400.00
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01	0.01
कुल योग-	8259.08	8259.08

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/**2021/1029/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018, दिनांक 29 अप्रैल 2021** का **संलग्नक-5**

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34, लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-102-होम्योपैथी- 05-अन्य व्यय-0506-होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)		
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियां	अभ्युक्ति
1	2	3	4
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2.00	1.00	वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।
कुल योग-मतदेय	2.00	1.00	

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।